(198)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1033– पीबीआर/2003 – विरूद्व आदेश दिनांक 09–04–2003 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 308/1976–77 अपील

1– रामलाल सिंह 2– रामहेत सिंह पुत्रगण बादाम सिंह
3– महिला कमला पत्नि स्व0 गंर्धव सिंह पुत्री बादामसिंह
4– महिला बेटीराजा पत्नि स्व.केशव सिंह पुत्री बादामसिंह
5– रनवीर सिंह 6– देवेन्द्र सिंह पुत्रगण केशव सिंह
सभी ग्राम भर्रोली तहसील सेवढ़ा जिला दतिया ———आवेदकगण

विरूद्व

मेहताव सिंह पुत्र महाराज सिंह
ग्राम सेरसा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया, मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 308/1976–77 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–4–2003 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला साजरानी पत्नि रघुनन्दन ग्राम भर्रोली की भूमि सर्वे नंबर 500 रकबा 0.82 के हिस्सा 1/2 तथा सर्वे कमांक 96, 105, 302, 1127 के कुल रकबा 9.68 एकड़ में हिस्सा 2/3 की भूमिस्वामी थी, जिसकी मृत्यु उपरांत सुल्तान सिंह एंव मेहताव सिंह ने नायव तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष उत्तराधिकारिता के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये । ना0 तहसीलदार

सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 17 अ–6/1972–73 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 6–8–73 पारित किया एंव नामान्तरण करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 6/74 में पारित आदेश दिनांक 8–5–74 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 80/1974–75 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–3–1975 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ। फलतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8–5–74 के कम में नायव तहसीलदार ने पक्षकारों की पुनः सुनवाई की एंव प्रकरण कमांक 17 अ–6/1972–73 में पारित आदेश दिनांक 23–6–77 से बादाम सिंह, गुनुआ का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 24/1976–77 में पारित आदेश दिनांक 29–8–77 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा सूरतसिंह एंव मेहताव सिंह का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 308/1976–77 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–4–2003 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–8–77 को यथावत् रखा एंव अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में विचार व्यक्त किये कि आवेदकगण मृतक महिला राजरानी के उत्तराधिकारी हैं। अनावेदक मेहताव सिंह अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं कर सका एंव महिला भारी रघुनन्दन की पत्नि नहीं होना साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है । स्वर्गीय बादाम सिंह व्दारा नायव तहसीलदार के समक्ष अपना वॅश वृक्ष सही सही प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु अपर आयुक्त व्दारा बिना ठोस आधार के बॅश

वृक्ष को सही न मानने में भूल की गई है। महिला भारी का रघुनन्दन की पत्नि होना प्रमाणित न होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनावेदक को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत हुई है एंव साक्ष्य से अनावेदक मृतक खातेदार का सजरा खानदानी के हिसाव से विधिक वारिस होना प्रमाणित हुआ है क्योंकि रघुनन्दन के तीन पत्नियॉ महारानी, भारी एंव साजरानी थीं जिनमें भारी एंव महारानी सगी बहिनें थीं । भारी की बेटी राजावेटी है जिसके सुल्तान सिंह एंव मेहताब सिंह बेटे हैं । इस प्रकार अनावेदक सजरा खानदान से मृतक खातेदार के बारिस होना प्रमाणित है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–8–77 में सही निष्कर्ष निकाला है जिसे अपर आयुक्त ने परीक्षण में नियमानकूल पाकर यथावत् रखा है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत सजरा एंव साक्षीगण के कथनों से यह सही है कि जब उभय पक्ष के साक्षीगण कथनों में यह बता रहे हैं कि रघुनन्दन के तीन पत्नियॉ महारानी, भारी एंव साजरानी थीं । साजरानी की बेटी राजकुँअर उर्फ राजा वेटी है और इसकी संतान संल्तान सिंह एंव मेहताब सिंह है इसीसे अनुविभागीय अधिकारी ने यह प्रमाणित माना है कि मृतक महिला के अन्य की तुलना में विधिक वारिस अनावेदक है और हिन्दू उत्तराधिकार विधान की धारा 15 के में दी गई व्यवस्था के अनुरूप खातेदार साजरानी की मृत्यु उपरांत एंव उसके अन्य संतान न होने के कारण उसके व्दारा छोड़ी गई संपत्ति उसके पति रघुनन्दन (अनुसूची एक का वारिस) की प्रथम पुत्री के पुत्र सुल्तान सिंह एंव मेहताव सिंह ही वारिस होंगे। फलतः अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा व्दारा प्रकरण कमांक 24/1976–77 अपील में पारिते आदेश दिनांक 29–8–77 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर

संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 308/76–77 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–4–2003 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी मे हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 308/76–77 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–4–2003 विधिवत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर